सत्यमेव जयते

राजस्थान राज–पत्र साधारण	RAJASTHAN GAZETTE Ordinary
साधिकार प्रकाशित	**Published by Authority**

जिल्द 77 भाद्र 20, गुरुवार, शाके 1947–सितम्बर 11, 2025 अंक 24
Vol. 77 Bhadra 20 , Thursday, Saka 1947–September 11, 2025 No. 24

भाग 7

विभिन्न विभागों में प्रदायों के लिए टेण्डर मांगने की सूचनाओं को सम्मिलित करते हुए सार्वजनिक और निजी विज्ञापन आदि।

उपनाम/उपनाम/सरनेम परिवर्तन करने का बन्ध–पत्र

[नियम 8 राजस्थान सेवा नियम, वित्त विभाग के आदेश एक 1/12/एफ.डी.ई.आर 187 दिनांक 10–04–57 की अनुपालना में]

इस बन्ध–पत्र द्वारा मैं निम्न हस्ताक्षरकर्ता सुरेश कुमार (नया नाम) जो अभी इससे पूर्व सुरेश कुमार रैगर (पुराना नाम) कहलाता था एवं जो अधीक्षण अभियन्ता (संबंधित राज्य कर्मचारी द्वारा उस समय धारित किये गये पद का नाम) के रूप में कार्यालय मुख्य अभियन्ता जल संसाधन विभाग जयपुर राजस्थान (स्थान जहां राज्य सरकार के विभाग में नियुक्त हो) पर नियुक्त एतद्द्वारा :–

1. स्वयं तथा मेरी पत्नी एवं बच्चे तथा दूर के बच्चे जो पूर्णतया आश्रित हो मेरे पूर्व नाम सुरेश कुमार उपानाम रैगर (सिर्फ) को त्यागता हूँ तथा उसके स्थान पर उसी तारीख से नाम सुरेश कुमार ग्रहण करता हूँ एवं इसलिए मैं, मेरी पत्नी, बच्चे, दूर के बच्चे एतद्द्वारा मेरे पूर्व उपनाम रैगर (केवल) से न जाने जाएं तथा पहचाने जाएं बल्कि मेरे द्वारा ग्रहण किये गये नाम सुरेश कुमार द्वारा जाने जाएं।
2. उक्त मेरे निश्चय की साक्ष्य के प्रयोजन के लिए घोषणा करता हूँ कि मैं एतद् पश्चात सभी समय निजी या सार्वजनिक सभी बन्ध–पत्रों, प्रलेखों एवं समस्त कार्यवाहियो, व्यवहारो एवं लेन–देनों में तथा सभी अवसरों पर अपने पूर्व नाम सुरेश कुमार तथा उपनाम रैगर (सिर्फ) के स्थान पर एवं उसके परिवर्तन में सुरेश कुमार नाम के रूप में प्रयुक्त करूंगा एवं हस्ताक्षर करूंगा।
3. स्पष्टतः एतद्पश्चात् तथा सभी समय, सभी व्यक्तियों को मुझे, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, दूर के बच्चों को तदनुसार नये रखे नाम सुरेश कुमार के नाम से सम्बोधित करने के लिए प्राधिकृत करता हूँ तथा उसके लिए निवेदन करता हूँ।

इसके साक्षी में, मैंने अपने पूर्व नाम एवं नये नाम सुरेश कुमार रैगर तथा सुरेश कुमार का वर्णन किया है तथा दिनांक 11.07. 25 को हस्ताक्षर किये है।

हस्ताक्षरित निम्नलिखित की उपस्थिति में उपर्युक्त नाम सुरेश कुमार द्वारा जो पूर्व में सुरेश कुमार रैगर कहलाता था हस्ताक्षर किये है।

साक्षी :–

1. हरीश कुमार वासदानी, अतिरिक्त मुख्य अभियंता (मुख्यालय एवं आई.टी.) जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. हितेन्द्र सिंह, अधीक्षण अभियंता, कार्यालय मुख्य अभियंता जय संसाधन विभाग, राजस्थान जयपुर।

सुरेश कुमार
हस्ताक्षर
नया नाम : सुरेश कुमार
पुराना नाम : सुरेश कुमार रैगर

प्रतिहस्ताक्षर
भुवन भास्कर
11.07.2025
मुख्य अभि. एवं अति. सचिव
ज.सं.वि. राज. जयपुर।

13241
राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।